

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी सरकारी मंत्रालयों/विभागों के आईसीसी अध्यक्षों के लिए अब तक के प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगी

Posted On: 04 MAY 2017 7:46PM by PIB Delhi

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी सरकारी मंत्रालयों/विभागों के आईसीसी अध्यक्षों के लिए अब तक के प्रथम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सभी केन्द्र सरकार मंत्रालयों/विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्षों के लिए अब तक के प्रथम एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है तथा इसका आयोजन कल नई दिल्ली में किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी इसका उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज भी उपस्थित रहेंगी।

कार्यशाला में 60 प्रतिभागी होंगे जो मुख्य रूप से सभी केन्द्र सरकार मंत्रालयों/विभागों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष होंगे। इस कार्यशाला का आयोजन आईसीसी के अध्यक्षों के क्षमता निर्माण के लिए किया जा रहा है जिससे कि इसका कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

इस कार्यशाला में लैंगिक भेदभाव एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन, अधिवक्ता एवं एनएचआरसी की माननीय सदस्य सुश्री ज्योतिका कालरा की अध्यक्षता में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताओं पर सत्र आयोजित किये जाएंगे। इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता सुश्री मयूरी रघुवंशी द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का एक कृत्रिम सत्र आयोजित किया जाएगा।

वीके/एसकेजे/एमएम-1269

(Release ID: 1489273) Visitor Counter: 15









in